

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
आई.टी.भवन, योजना भवन परिसर, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

क्रमांक :-एफ.2(7047)/डी.ओ.आई.टी./संस्था/16/03474/2020

जयपुर, दिनांक 19/8/2020

अनापत्ति प्रमाण पत्र

राजस्थान कम्प्युटर अधिनस्थ सेवा के विभिन्न विभागों में कार्यरत/पदस्थापित सूचना सहायकों को निम्नलिखित परीक्षाओं में पत्राचार/दूरस्थ/स्वयंपाठी माध्यम से सम्मिलित होने की स्थिति में इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है:-

क्र.स.	मेरिट न.	नाम	पदस्थापित विभाग	कोर्स का नाम	विश्वविद्यालय का नाम
1.	3664	श्री लक्ष्मण प्रसाद गुप्ता	जिला कार्यालय, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, भरतपुर	M.C.A. 1 st Year	जयपुर नेशनल विश्वविद्यालय, जयपुर
2.	1351	श्री लोकेश कुमार शर्मा	मुख्यमंत्री कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर	BCA 1 st Year	जयपुर नेशनल विश्वविद्यालय, जयपुर

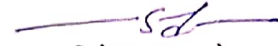
उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति उक्त सूचना सहायको को राजस्थान सिविल सेवाएँ (आचरण) नियम, 1971 के नियम-17 की निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

1. कर्मचारियों को परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
2. अध्ययन स्वीकृति/परीक्षा की अनुमति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
3. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
4. प्रशासनिक कारणवश स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
5. उक्त शर्तों की अवहेलना करने या पाई जाने पर कार्मिक/कार्मिका के विरुद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.9(5)(9)/कार्मिक/क-3/2001 दिनांक 16 मई 2002 के अनुसार वृहत शारित हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

Contd. -

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
आई.टी.भवन, योजना भवन परिसर, तिलक मार्ग, सी-स्किम, जयपुर

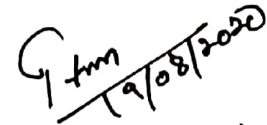
कार्मिक/कार्मिका को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे भविष्य में किसी भी प्रकार के अध्ययन पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने से पूर्व विभागीय स्वीकृति प्राप्त करें।



(विवेक कुमार)
विशेषाधिकारी (यू.आई.डी.) एवं
प्रभारी अधिकारी संस्थापन (अराजपत्रित)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. संबंधित विभागाध्यक्ष.....।
2. संबंधित कर्मचारी.....।
3. निजी/रक्षित पत्रावली।
- ✓ 4. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट, वेबसाइट पर अपलोड हेतु।


19/08/2020

प्रशासनिक अधिकारी (संस्थापन)

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
आई.टी. भवन, योजना भवन परिसर, तिलक मार्ग, सी-स्कैम, जयपुर

क्रमांक :- एफ.2(7047)/डी.ओ.आई.टी./संस्था/16/03475/2020

जयपुर, दिनांक 19/8/2020

अनापत्ति प्रमाण पत्र

राजस्थान कम्प्युटर अधिनस्थ सेवा के विभिन्न विभागों में कार्यरत/पदस्थापित सूचना सहायक ने निम्नानुसार अध्ययन हेतु पत्राचार/दूरस्थ/स्वयंपाठी माध्यम से प्रवेश की अनुमति चाही गई है:-

क्र.स.	मेरिट न.	नाम	पदस्थापित विभाग	कोर्स का नाम	विश्वविद्यालय का नाम
1.	2146	श्री मुकेश कुमार	कार्यालय स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल, डीडवाना, नागौर	M.Sc.(C.S.)	वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

उक्त हेतु उपर्युक्त सूचना सहायक को अनापत्ति प्रमाण पत्र राजस्थान सिविल सेवाएं (आचरण) नियम, 1971 के नियम-17 की निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन प्रदान की जाती है:-

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी।
2. राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तन/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
3. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये वगैर अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी उन्हें परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकारी नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
6. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।
7. अध्ययन वर्ष में अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिये सरकार/विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।
8. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
9. प्रशासनिक कारणोंवश अध्ययन स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
10. इस अनापत्ति प्रमाण पत्र से अभ्यर्थी द्वारा किए जा रहे अध्ययन के पाठ्यक्रम या विश्वविद्यालय की मान्यता या गैर-मान्यता के संबंध में इस विभाग की स्वीकृति नहीं मानी जायेगी।
11. उक्त शर्तों की अवहेलना करने या पाई जाने पर कार्मिक/कार्मिका के विरुद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.9(5)(9)/कार्मिक/क-3/2001 दिनांक 16 मई 2002 के अनुसार वृहत शास्ति हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

Contd. -

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
आई.टी.भवन, योजना भवन परिसर, तिलक मार्ग, सी-स्क्रीम, जयपुर

कार्मिक/कार्मिका को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे भविष्य में किसी भी प्रकार के अध्ययन पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने से पूर्व विभागीय स्वीकृति प्राप्त करें।

(विवेक कुमार)

विशेषाधिकारी (यू.आई.डी.) एवं
प्रभारी अधिकारी संस्थापन (अराजपत्रित)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. संबंधित विभागाध्यक्ष.....।
2. संबंधित कर्मचारी.....।
3. निजी/रक्षित पत्रावली।
- ✓ 4. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट, वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

19/08/2020

प्रशासनिक अधिकारी (संस्थापन)